पुलिस विभाग जिला–अजमेर

।। प्रेस नोट दिनांक 16.08.2017 ।।

बंक से धोखाधड़ी कर 11 लाख का लोन लेने वाला गिरफ्तार

पुलिस थाना कोतवाली मे **बंक से धोखाधड़ी कर 11 लाख का लोन लेने वाला गिरफ्तार। फर्जी माबल कंपनी बनाकर लिया लोन। एक भी किश्त जमा नहीं होने पर बंक ने कराया मुकदमा दज। किशनगढ़ के रहने वाले एक युवक**

ने निजी बैंक को फर्जी दस्तावेज पेश कर 11 लाख रुपए का लोन ले लिया। इस युवक ने लोन की एक भी किश्त जमा नहीं कराई। शक होने पर बैंक ने जांच की तो पाया कि जिस माबल कंपनी के दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया गया है वो कंपनी ही नहीं है। बैंक की शिकायत पर कारवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में किशनगढ निवासी गोपाल को गिरफतार किया है।

<u>जिला पुलिस कप्तान राजेन्द्र सिंह चौधरी ने जुए के मामले में तीन सिपाहियों को किया था लाईन हाजिर।</u>

पुलिस थाना ब्यावर में__प्रशिक्षु आरपीएस गीता चौधरी की बड़ी कारवाई।जुआरियों पर कसा शिकंजा।फड़ पर दबिश देकर 4लाख 45 हजार रुपए किए जप्त।6 जुआरी गिरफ्तार।ताश पत्ती से खेल रहे थे जुआ।ब्यावर में खुले आम चलता है जुआ। सोमवार को जिला पुलिस कप्तान राजेन्द्र सिंह चौधरी ने जुए के मामले में तीन सिपाहियों को किया था लाईन हाजिर।

<u>84 हज़ार के नकली नोटो के साथ, 4 आरोपी धरे</u>

पुलिस थाना क्लॉक टॉवर थाना पुलिस ने आज एक बड़ी कायवाही करते हुए नकली नोट चलाते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार युवक बिहार के रहने वाले ह पुलिस ने पकड़े गए इन चारों युवकों के पास है 84 हजार रुपए के नकली नोट बरामद किया समयएएसआई राजाराम म रामबाबू, सुभाष कुमारसूर्यप्रकाश, जगदीश मय लेपटॉप प्रिन्टर मय एसेसरीज मय अनुसंधान बॉक्स मय जीप सरकारी के वास्ते जुरायम कन्ट्रोल व गस्त हेतु रवाना होकर केसरगंज चौराहा पहुंचा।जहां पर मन एएसआई को

जरिये मुखबीर खास ईतला मिली चार व्यक्ति चार व्यक्ति रिलायंस फ्रेश के सामने सब्जी मण्डी की गली में खडे हैं जो नकली मुद्रा को असली मुद्रा के रूप में चलाने की फिराक में है जिनको अगर चैक किया जावे तो नकली नोट मिल सकते हैं।ईतला मुखबीर विश्वसनीय होने पर हमराह जाप्ता में कानि.963श्री सूर्यप्रकाश को दो स्वतंत्र गवाह तलबी व नकली नोट की पहचान हेतु बैंक अधिकारी को तलब कर लाने बाबत लिखित में तहरीर देकर हिदायत दी गयी बैंक अधिकारी व गवाहान को लेकर रिलायंस फ्रेश स्टोर केसरगंज के सामने मिले कहकर रवाना किया जाकर एएसआई मय हमराही जाप्ता के रिलायंस फ्रेश स्टोर केसरगंज के सामने सूर्यप्रकाश ने वापस आकर लिखित में बताया कि कोर्ट कचहरी के भय से कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ एवं 15 अगस्त होने के कारण आज बैंक में अवकाश हैं जिस कारण कोई अधिकारी या कर्मचारी उपस्थित नही है। जिस पर मन एएसआई द्वारा हमराही जाप्ते में से रामबाबू एवं सुभाषकुमार को लिखित में गवाह बनने बाबत नोटिस दिया गया जिस पर रामबाबू एवं श्री 1540 श्री सुभाषकुमार ने लिखित में गवाह बनने की सहमति प्रदान की जिस पर मन एएसआई राजाराम कानि.963 श्री सूर्यप्रकाश,कानि.1309जगदीश मय गवाहान कानि. 1077श्री रामबाबू एवं श्री 1540 श्री सुभाषकुमार के समय 06.20 पीएम पर रिलायंस फ्रेश स्टोर केसरगंज से रवाना होकर समय 06.25 पीएम पर रिलायंस फ्रेश स्टोर केसरगंज के सामने स्थित सब्जी मण्डी गली में पहुंचा जहां पर चार व्यक्ति मुखबीर ईतलानुसार खडे दिखाई दिये उक्त चारों व्यक्ति पुलिस जाप्ता को बावर्दी देखकर रवाना होने लगे जिस पर मन एएसआई राजाराम मय कानि. मय गवाहान ने घेरा देकर रोका एवं नाम पता पूछा तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम मौहम्मद जसीम अंसारी पुत्र मौहम्मद नईम असांरी जाति मुसलमान उम्र 23 साल निवासी मन्जोरा बाजार थाना बिहारीगंज जिला मधेपुरा बिहार होना बताया जिसकी तलाशी मन एएसआई द्वारा गवाहान के समक्ष ली गयी तो शर्ट की जेब में 2000–2000 रूपये के 23 नकली नोट मिले जिनके सिरियल नंबर 8CB608200, 8CB608200, 8CB608200, 8CB608200, 8CB608200, 8CB608200, 8CB608200, 8CB608200, 8CB 608200, 8CB608200, 8CB 608202, 8CB 608202, 8CB

608202, 8CB608202, 8CB 608202, 8CB 608202, 8CB 608202, 8CB 608206,8CB 608206,8CB 608207,8CB 6608207,8CB 608207,8CB 608207,8CB 608208,8CB 608208,अंकित होना पाया गया एवं जेब में असली नोट 500रूपये का 1 नोट,100 रूपये के 47 नोट,50 रूपये के 6 नोट एवं 20 रूपये के 3 नोट इस प्रकार कुल 5560 रूपये असली मिले।दुसरे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम मौहम्मद आफताब आलम पुत्र नजीर मिया मदरसा जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी टोला हथिऔधा वार्ड नं. 8 थाना बिहारीगंज बिहार होना बताया जिसकी तलाशी मन एएसआई द्वारा गवाहान के समक्ष ली गयी तो पेंट की जेब में 2000–2000 रूपये के 4 नकली नोट मिले जिनके सिरियल नंबर 8CB 608202,8CB 608202,8CB 608208,8CB 608207 अंकित होना पाया गया एवं जेब में असली नोट 500रूपये के 6 नोट,100 रूपये के 6 नोट,20 रूपया का 1 नोट,10 रूपया का 5 नोट इस प्रकार कुल 3670 रूपये असली मिले।तीसरे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम समरेज आलम पुत्र जमाल अंसारी उम्र 20 साल जाति मुसलमान निवासी हमारी कुकुरोन थाना धमदाह जिला पूरनिया बिहार होना बताया जिसके पेंट की बायीं जेब की तलाशी ली गयी तो जेब में 2000–2000 रूपये के 6 नकली नोट मिले जिसके सिरियल नं. 8CB 608200,8CB 608200,8CB 608202,8CB 608202,8CB 608208,8CB 608208,अंकित होना पाया गया। एवं जेब में असली नोट 500रूपये के 6 नोट,100रूपये के 7 नोट एवं 10 रूपये के 5नोट मिले इस प्रकार कुल 3750 रूपये असली मिले।चौथे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम मौहम्मद सौहल आलम पुत्र मौहम्मद मुस्ताक अंसारी उम्र 20 साल निवासी हमारी कुकुरोन थाना धमदाह जिला पूर्णिया बिहार होना बताया जिसके तलाशी मन एएसआई द्वारा गवाहान के समक्ष ली गयी तो पेंट की जेब से में 2000–2000 रूपये के 9 नकली नोट मिले जिसके सिरियल नं. 8CB 608200,8CB 608200,8CB 608200,8CB 608208,8CB 608208,8CB 608208, ,8CB 608208,8CB 608208,8CB 608207 अंकित होना पाया गया एवं जेब में असली नोट

500रूपये के 7 नोट,100रूपये के 13 नोट,50 रूपये के 4 नोट,10 रूपये के 2 नोट मिले इस प्रकार कुल 5020 रूपये असली मिले।चारों के पास में मिले 2000–2000 रूपये के नकली नोट रूपये के सम्बन्ध में पूछा तो बताया हमने यह रूपये पूर्णिया जिले से लेकर आये है।इस प्रकार उक्त चारो मुल्जिमान द्वारा नकली नोट अपने कब्जे में रखना एवं असली के रूप के प्रयोग लेना अपराध धारा 489ख,489ग आईपीसी का अपराध पाया जाने पर 2000–2000 रूपये के नकली नम्बरी नोट 8CB608200,8CB608200,8CB608200,8CB608200,8CB608200, 8CB608200, 8CB608200, 8CB608200, 8CB 608202, 8CB608202,8CB 608202, 8CB608202, 8CB 608202,8CB 608202,8CB 608202,8CB 608206,8CB 608206,8CB 608207,8CB 6608207,8CB 608207,8CB 608207,8CB 608208,8CB 608208,8CB 608202,8CB 608202,8CB 608208,8CB 608207,8CB 608200,8CB 608200,8CB 608202,8CB 608202,8CB 608208,8CB 608208,8CB 608200,8CB 608200,8CB 608200,8CB 608208,8CB 608208,8CB 608208, ,8CB 608208,8CB 608208,8CB 608207 कुल 42 नोट कुल राशि 84,000/–रूपये के नकली नोटो को एक प्लास्टिक की थैली में रखकर प्लास्टिक की थैली को सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर चिट चैपा कर मार्का ए अंकित किया गया एवं उक्त चारो की तलाशी के दौरान मिले असली नोट के बारे में पूछा तो बताया कि नकली नोट जो मार्केट में चलाये गये है उससे यह राशि प्राप्त हुयी है जिस पर मार्केट में चलाये गये नकली नोटो से प्राप्त असली नोट राशि कुल 18,000/–रूपयो को बतौर वजह सबूत जब्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर चिट चैपा किया जाकर मार्का बी अंकित किया गया।मुल्जिमान को पृथक से जरिये फर्द गिरफतार किया गया। तहरीर रिपोर्ट मय फर्द जप्ती मय शिल्ड पैकिट मार्का ए,ए–1,बी मय मुल्जिमान मय फर्दात के पेश की। जिस पर

थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 161/17 धारा 489ख 489ग ताहि में दर्ज किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया गया।

7 साल से फरार स्थायी वारण्टी मेरठ यूपी से गिरफ्तार

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के निर्देशानुसार पैण्डिंग स्थायी वारण्टी/299 सीआरपीसी/पीओ/मफरूर/गिरफतारी वारण्टीओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना पैण्डिंग स्थायी वारण्टी मुबारक अली पुत्र नूर मौहम्मद जाति मुसलमान निवासी गली नं. 5 कुरटी वाली गली शकूर नगर लिसाडी रोड थाना ब्रहमपुरी मेरठ उ0प्र0 के संबध मे सूचना मिलने पर मन थानाधिकारी अजयकांत पुनि के निर्देशन मे श्री जितेन्द्र कुमार सउनि मय कानि 964 श्री सज्जन कुमार की टीम बनाकर टीम

रवाना की जिस पर उक्त टीम द्वारा उक्त स्थायी वारण्टी के मेरठ यूपी निवास स्थान पर दबिश देकर वारण्टी को आज दिनांक को गिरफतार किया गया। उक्त स्थायी वारण्ट 7 साल से फरार चल रहा था।

लम्बे समय से तारीख पेषी से फरार चल रहे 3 स्थाई वारंटी का निस्तारण किया गया।

पुलिस थाना मदनगंज में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर मदनगंज थाना पर आज दिनांक 15.8.17 को लम्बे समय से तारीख पेषी से फरार चल रहे 3 स्थाई वारंटी का निस्तारण किया गया। 1 **हरि पुत्र रोडू जाति बागरिया निवासी सिनसेदिया थाना दूदू जयपुर का** सांभर जेल मे दिनांक 16.6.17 से बंद हैं जिसके विरुद्व 2 स्थाई वारन्ट है जिसके संबंध मे वारन्ट प्रोडेक्शन वारन्ट हेतु न्यायालय मे निवेदन किया। एव राजेश पुत्र श्री रामचरण जाति वैष्णव निवासी पानी की टंकी के पास आजाद नगर मदनगंज जिला अजमेर हाल बृज विहार कोलोनी आदित्य मील के पीछे मदनगंज को 16.8.17 को गिर0 किया गया।

स्थाई वारन्टी गिरफ्तार

पुलिस थाना मांगलियावास में *एक पीओ प्रकाश बिश्नोई पुत्र कालु राम बिश्नोई निवासी कोरिया थाना पीपाड सिटी जिला जोधपुर को गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया गया।*

Gram haisaways m sdm sab ajmer dawara baba ramdav gi mala ko lakar padhakario ke bhatak le jishma dysp sab sho sab mojud rahi baki kharit ps gegal

शांति भंग के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना गंज में द्वारा शांतिभंग के आरोप में 1. शाहरूख खान पुत्र हनीफ खान जाति मुसलमान उम्र 20 साल नि. गली न. 01 लौंगिया मोहल्ला थाना गंज अजमेर हाल जी.के. कार पार्किंग अजमेर व 2. लेखराज पुत्र हरजीराम जाति गुर्जर उम्र 31 साल नि. गांव भुडोल थाना गेगल जिला अजमेर हाल शोभराज कार पार्किंग थाना गंज अजमेर को अन्तर्गत धारा 151 सी.आर.पी.सी. के गिरफ्तार किया गया।

शान्तिभंग में दस गिरफतार

.पुलिस थाना केकडीः– में सुखराम हैड कानि0 द्वारा गैरसायल 1. सोनु पुत्र गोपाल जाति माली उम्र 23 साल निवासी काजीपुरा थाना केकडी जिला अजमेर 2. नारायण पुत्र दुर्गालाल जाति तेली उम्र 25 साल निवासी राजपुरा रोड कजन कालोनी केकडी थाना केकडी जिला अजमेर 3. मुरारी पुत्र गोपाल जाति तेली उम्र 22 साल निवासी सापुण्दा चौहरा केकडी थाना केकडी जिला अजमेर 4. राजु पुत्र रतन जाति तेली उम्र 21 साल निवासी राजोरिया के घर के पास के जयपुर रोड केकडी थाना केकडी जिला अजमेर 5. रामवतार पुत्र शकर जाति तेली उम्र 19 साल निवासी बोहरा कालोनी केकडी थाना केकडी जिला अजमेर को शान्तिभंग में गिरफतार किया गया।

.पुलिस थाना केकडीः– हनुमान हैड कानि0 द्वारा गैरसायल मदन पुत्र देवीसिंह जाति दरोगा उम्र 42 साल निवासी चौसला कॉलोनी मेवदा कलां पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को शान्तिभंग में गिरफतार किया गया।

.पुलिस थाना केकडीः– हनुमान हैड कानि0 द्वारा गैरसायल दीपू पुत्र रामेश्वर जाति नायक उम्र 25 साल निवासी काजीपुरा केकडी पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को शान्तिभंग में गिरफतार किया गया।

.पुलिस थाना केकडीः– शिवचरण हैड कानि0 द्वारा गैरसायल 1.कैलाश पुत्र रामकिशन जाति खाति उम्र 45 साल निवासी खिडकी गेट तिवाडी मौहल्ला केकडी थाना केकडी जिला अजमेर 2.सुरेश पुत्र रामकिशन जाति खाति उम्र 35 साल निवासी खिडकी गेट तिवाडी मौहल्ला केकडी थाना केकडी जिला अजमेर 3.राजू पुत्र रामेश्वर जाति खाति उम्र 30 साल निवासी खिडकी गेट तिवाडी मौहल्ला केकडी थाना केकडी जिला अजमेर

शान्ति भंग में 2 गिरफ्तार

पुलिस थाना मसुदा में 1. हुसैन पुत्र नीरा जाति काठात उम्र 19 साल निवासी भगवानपुरा शेरगढ थाना मसूदा जिला अजमेर 2. सन्दीन पुत्र हरदेव जाति भाट उम्र 21 साल निवासी इन्द्रा कॉलोनी मसूदा थाना मसूदा जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।